उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–2445–औ0सं0/2015–8–एम/92 दिनांक 15 जुलाई, 2015

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को कानपुर।

अति महत्वपूर्ण

विषय :– विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक पत्र सं0–4370–औ0सं0/2014–8–एम/92 दिनांक 06.01.2015 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा बढ़ती हुयी विद्युतीय दुर्घटनाओं की संख्या के दृष्टिगत दुर्घटनाओं के कारणों एवं उनके रोकथाम किये जाने के उपाय दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करने के निर्देश प्रेषित किये गये है किन्तु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में दिये जा रहे निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण जनहानि, पशुहानि, सम्पत्तियो व फसलों के नष्ट होने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है एवं इस कारण मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं मा0 उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के समक्ष परिवादो की संख्या भी निरन्तर बढ़ रही है एवं इन प्रकरणों के कारण कारपोरेशन व शासन के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष असहज स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

इस सम्बन्ध में आप भलीभांति अवगत है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–161 के अन्तर्गत निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन एवं उनके क्षेत्रीय व सहायक निदेशकों द्वारा विद्युतीय दुर्घटनाओं की जांच व संस्तुतियाँ सम्बन्धित डिस्काम को प्रेषित की जाती है जिनमें दुर्घटना के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

(क) त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन को ठीक कराने के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम–5(4) के अधीन जारी किये गये आदेश की स्थिति।

(ख) प्रभावित/परिवार/व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की स्थिति।

(ग) दुर्घटना/त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन से सम्बन्धित उत्तरदायी विभागीय व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की स्थिति।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि मा0 आयोगों से संदर्भित प्रकरणों में आयोग की शिकायत के निराकरण हेतु पीड़ित/प्रभावित परिवार/व्यक्ति को अनुग्रह धनराशि का भुगतान तो कर दिया जाता है किन्तु त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन को ठीक कराये जाने एवं दुर्घटना/त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान से सम्बन्धित उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों/अधिकारिकों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है, जबकि अधिकांश प्रकरणों में मा0 मानवाधिकार आयोग द्वारा उत्तरदायी/दोषी के विरूद्ध कृत कार्यवाही की आख्या भी मांगी जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्युत दुर्घटनाओं एवं मा0 आयोगों से प्राप्त प्रकरणों के सम्बन्धों में निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा अपनी आख्या में की गई उपर्युक्त इंगित संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय एवं डिस्काम स्तर पर विशेष अभियान चलाकर सम्भावित विद्युत दुर्घटनाओं को कम कराने हेतु दृढ़तापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया इन निर्देशों को अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझा जाय एवं इनके अनुपालन की स्थिति से अद्योहस्ताक्षरी को संज्ञानित भी कराया जाय।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

Lucknow

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

e-mail id:< dgmir.uppcl@gmail.com>